न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

(1)2020-00282RAAJodhpur2020-121 Smt. Mohani Vs Kishani etc
(2)2021-156RAAJodhpur2021-56RTA223Smt. Mohani Vs Kishani etc
(3)2022-122RAAJodhpur2022-45 Sonraj Vs Smt. Mohani etc
(4)2022-123RAAJodhpur2022-46 Sonraj Vs Smt. Mohani etc

श्रीमति मोहनी पत्नी श्री गणेशराम जाति पालीवाल निवासी- ग्राम तुलछीनगर, छीला तहसील लोहावट, जिला जोधपुर।

--- अपीलाण्ट

ब

ना

म

1. किशनी पत्नी श्री शंकरराम
2. विमला पत्नी श्री भागीरथराम जातियान् विश्नोई, निवासी- चक ढढ्ढु तहसील फलोदी, जिला जोधपुर।
3. प्रमिला पत्नी श्री नाथुराम जाति विश्नोई, निवासी अमाणी नगर ढढ्ढु तहसील फलोदी, जिला जोधपुर।
4. मदनगोपाल पुत्र श्री दलीचन्द जाति सोनी, निवासी- लक्ष्मीपुरा फलोदी, तहसील फलोदी, जिला जोधपुर।
5. ओमाराम पुत्र श्री बलवंताराम जाति विश्नोई, निवासी- चिडी तहसील फलोदी, जिला जोधपुर।
6. कमला पत्नी दयाराम
7. दयाराम पुत्र पृथ्वीराज जातियान् पालीवाल, निवासी- तुलछीराम नगर, छीला तहसील लोहावट, जिला जोधपुर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लोहावट, जिला जोधपुर।

--- रेस्पोडेण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री सहायक फलोदी द्वारा दिनांक 19 अगस्त 2019 राजस्व मूल वाद संख्या 28/2019 किशनी व अन्य बनाम कमला इत्यादि

--- 0 ---

उपस्थित -
श्री मनोहर लाल पालीवाल, अधिवक्ता अपीलांट

19.9.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

श्री चन्द्रप्रकाश चौधरी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या तीन से पांच
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या आठ

(2)2021-156RAAJodhpur2021-56RTA223Smt. Mohani Vs Kishani etc

श्रीमति मोहनी पत्नी श्री गणेशराम जाति पालीवाल निवासी- ग्राम तुलछीनगर, छीला तहसील लोहावट, जिला जोधपुर।

--- अपीलाण्ट

ब

ना

म

1. किशनी पत्नी श्री शंकरराम
2. विमला पत्नी श्री भागीरथराम जातियान् बिश्नोई, निवासी- चक ढढु तहसील फलोदी, जिला जोधपुर।
3. प्रमिला पत्नी श्री नाथुराम जाति विश्नोई, निवासी अमाणी नगर ढढु तहसील फलोदी, जिला जोधपुर।
4. मदनगोपाल पुत्र श्री दलीचन्द जाति सोनी, निवासी- लक्ष्मीपुरा फलोदी, तहसील फलोदी, जिला जोधपुर।
5. ओमाराम पुत्र श्री बलवंताराम जाति विश्नोई, निवासी- चिडी तहसील फलोदी, जिला जोधपुर।
6. कमला पत्नी दयाराम
7. दयाराम पुत्र पृथ्वीराज जातियान् पालीवाल, निवासी- तुलछीराम नगर, छीला तहसील लोहावट, जिला जोधपुर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लोहावट, जिला जोधपुर।

--- रेस्पोडेण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री सहायक लोहावट द्वारा दिनांक 29 जनवरी 2021 राजस्व मूल वाद संख्या 858/2020 किशनी व अन्य बनाम कमला इत्यादि

--- 0 ---

10.9.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उपस्थित -
श्री मनोहर लाल पालीवाल, अधिवक्ता अपीलांट
श्री चन्द्रप्रकाश चौधरी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या चार से पांच
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या आठ

(3)2022-122RAAJodhpur2022-45 Sonraj Vs Smt. Mohani etc

सोहनराज पुत्र श्री खेताराम जी जाति सोनी, निवासी- कोर्ट के सामने स्टेशन रोड़ फलोदी तहसील फलोदी जिला जोधपुर।

--- अपीलाण्ट

ब

ना

म

1. श्रीमती मोहनी पत्नी श्री गणेशराम जाति पालीवाल निवासी- ग्राम तुलछीराम नगर, छीला तहसील लोहावट, जिला जोधपुर।
2. किशनी पत्नी श्री शंकरराम निवासी- चक ढढु तहसील फलोदी, जिला जोधपुर।
3. विमला पत्नी श्री नाथुराम जातियान् बिश्नोई, निवासी- चक ढढु तहसील फलोदी, जिला जोधपुर।
4. प्रमिला पत्नी श्री नाथुराम जाति विश्नोई, निवासी अमाणी नगर ढढु तहसील फलोदी, जिला जोधपुर।
5. मदनगोपाल पुत्र श्री दलीचन्द जाति सोनी, निवासी- लक्ष्मीपुरा फलोदी, तहसील फलोदी, जिला जोधपुर।
6. ओमाराम पुत्र श्री बलवंताराम जाति विश्नोई, निवासी- चिडी तहसील फलोदी, जिला जोधपुर।
7. कमला पत्नी दयाराम
8. दयाराम पुत्र पृथ्वीराज जातियान् पालीवाल, निवासी- तुलछीराम नगर, छीला तहसील लोहावट, जिला जोधपुर।

19.9.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लोहावट, जिला जोधपुर।

--- रेस्पोडेण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री सहायक लोहावट द्वारा दिनांक 29 जनवरी 2021 राजस्व मूल वाद संख्या 858/2020 किशनी व अन्य बनाम कमला इत्यादि

--- 0 ---

उपस्थित -

श्री, प्रकाश भाटी अधिवक्ता अपीलांट
श्री मनोहर लाल पालीवाल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या एक
श्री दीपक जांगिड़, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या सात व आठ
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या आठ

(4)2022-123RAAJodhpur2022-46 Sonraj Vs Smt. Mohani etc

सोहनराज पुत्र श्री खेताराम जी जाति सोनी, निवासी- कोर्ट के सामने स्टेशन रोड़ फलोदी तहसील फलोदी जिला जोधपुर।

--- अपीलाण्ट

ब

ना

म

1. श्रीमती मोहनी पत्नी श्री गणेशराम जाति पालीवाल निवासी- ग्राम तुलछीराम नगर, छीला तहसील लोहावट, जिला जोधपुर।
2. किशनी पत्नी श्री शंकरराम निवासी- चक ढढ्ढु तहसील फलोदी, जिला जोधपुर।
3. विमला पत्नी श्री नाथुराम जातियान् बिश्नोई, निवासी- चक ढढ्ढु तहसील फलोदी, जिला जोधपुर।
4. प्रमिला पत्नी श्री नाथुराम जाति विश्नोई, निवासी अमाणी नगर ढढ्ढु तहसील फलोदी, जिला जोधपुर।

18.9.23
राजस्व अपील अधिकारी
जोधपुर

5. मदनगोपाल पुत्र श्री दलीचन्द जाति सोनी, निवासी-लक्ष्मीपुरा फलोदी, तहसील फलोदी, जिला जोधपुर।
6. ओमारामं पुत्र श्री बलवंताराम जाति विश्नोई, निवासी-चिडी तहसील फलोदी, जिला जोधपुर।
7. कमला पत्नी दयाराम
8. दयाराम पुत्र पृथ्वीराज जातियान् पालीवाल, निवासी-तुलछीराम नगर, छीला तहसील लोहावट, जिला जोधपुर।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लोहावट, जिला जोधपुर।

--- रेस्पोडेण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री सहायक फलोदी द्वारा दिनांक 19 अगस्त 2019 राजस्व मूल वाद संख्या 28/2019 किशनी व अन्य बनाम कमला इत्यादि

--- 0 ---

उपस्थित -
श्री, प्रकाश भाटी अधिवक्ता अपीलांट
श्री मनोहर लाल पालीवाल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या एक
श्री दीपक जांगिड़, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या सात व आठ
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या आठ

नि र्ण य

दिनांक : 18 सितंबर 2023

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 19 अगस्त 2019 राजस्व मूल वाद संख्या 28/2019 अनवान श्रीमती किशनी वगैरह बनाम कमला इत्यादि एवं सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लोहावट द्वारा निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 29 जनवरी 2021 राजस्व मूल वाद संख्या 858/2020 अनवान

18-9-23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

श्रीमती किशनी वगैरह बनाम कमला इत्यादि के खिलाफ आलौच्य अपीले अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत क्रमशः दिनांक 06 नवंबर 2020, 10 जून 2021 एवं 23 मार्च 2022 को प्रस्तुत की गई।

चारों अपीलों की विषय वस्तु, पक्षकार एवं प्रकृति समान होने से एक ही निर्णय में निस्तारण किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक अपील में रखी जावे।

अपीलांट्स द्वारा चारों अपीले प्रस्तुति हेतु अनुमति बाबत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी पेश किया। तथा अपील संख्या 121/2020, 46/2022 एवं 2020/45 प्रस्तुति में हुए विलंब को क्षमा किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत किया गया।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि <u>वादीगण/रेस्पोडेंट</u> किशनी इत्यादि ने विचारण न्यायालय में दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 297/2 रकबा 41.09 बीघा ग्राम तुलछीराम नगर तहसील लोहावट के संबंध में प्रस्तुत किये। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर फलोदी द्वारा निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.08.2019 के जरिये दावा प्राथमिक डिक्री कर विभाजन प्रस्ताव तलब किया गया, जिसके विरूद्ध आलौच्य अपील संख्या 2020/121 एवं 46/2022 प्रस्तुत की गई। तत्पश्चात न्यायालय क्षेत्राधिकार परिवर्तन होने से पत्रावली सहायक कलक्टर लोहावट को स्थानांतरित हुई। तहसीलदार लोहावट से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर दिनांक 29 जनवरी 2021 को अंतिम डिक्री पारित कर दी गई, जिसके विरूद्ध अपील संख्या 56/2021 एवं 45/2022 पेश की गई।

10.9.23

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बहस सुनी गयी। उक्त चारों अपील पत्रावलियों में अधिवक्ता अपीलाण्ट्स ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्रीयां पूर्ण रूप से त्रुटिपूर्ण है। ग्राम तुलछीराम नगर तहसील लोहावट के मूल खसरा नं. 297 कुल रकबा 122 बीघा 19 बिस्वा भूमि जगनाथ पुत्र श्री प्रेमराज जाति पालीवाल के नाम से दर्ज थी तथा जिस संपूर्ण भूमि पर प्रारम्भ सें लेकर आज दिन तक अपीलांट व उसके परिवार के सदस्य का ही कब्जा काश्त है तथा आज दिन भी काबिज काश्त है। जिस पर रेस्पोडेंट का आज भी किसी भी रूप में कब्जा या काश्त नहीं है तथा आज भी राजस्व रेकर्ड पटवारी नक्शा में मूल खसरा नं 297 रकबा 122.19 बीघा संपूर्ण खसरा दर्शित है। जिसमें आज दिन तक किसी भी प्रकार के बट्टा नंबर तरमीम होकर नहीं पड़े है, परन्तु रेस्पोडेंट्स ने आज अन्य भू- माफियों के साथ मिलकर व राजस्व अधिकारियों के साथ मिलावट करके गैर कानूनी रूप से सांठगांठ करके बिना किसी प्रकार का बंटवाड़ा हुए या मौका देख एवं तरमीम किये ही मूल खसरा नं. 297 के बट्टा नंबर खसरा नं. 297 रकबा 61 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नं. 297/1 रकबा 20 बीघा, खसरा नं. 297/2 रकबा 41.9 बीघा के राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में गैर कानूनी रूप से बिना बंटवाड़ा के ही नये खाते बना दिये गये, जबकि मौके पर आज भी खसरा नं. 297 की कुल रकबा 122.19 बीघा भूमि एक ही चक है, जिसका विधिवत रूप से सभी खातेदारों में किसी प्रकार का कोई बंटवाड़ा नहीं हुआ है। आज दिन संपूर्ण भूमि पर अपीलांट एवं उसके परिवार के सदस्य ही वास्तविक एवं भौतिक रूप से काबिज काश्त कर रहे है।

10.9.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

रेस्पोडेंट्स को वादग्रस्त भूमि पर कोई कब्जा काश्त नहीं है। रेस्पोडेंट्स द्वारा वास्तविक स्थिति एवं तथ्यों को छिपाकर केवल खसरा नं. 297/2 की भूमि बाबत ही बंटवाड़ा चाह गया है, जो कानूनन दिया जाना कतई संभव नहीं है। वादीगण रेस्पोडेंट्स द्वारा वादग्रस्त भूमि के समस्त रेकर्डेड खातेदारान् एवं अपीलांट को दावे में पक्षकार ही संयोजित नहीं किया गया तथा अपीलांट से बाले-बाले अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्रीयां प्राप्त की है जो काबिले खारिज है।

अपील संख्या 121/2020 में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर अपीलांट के अधिवक्ता के कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत दावे में अपीलार्थीनी को पक्षकार संयोजित किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित की गई है। अपीलाधीन आदेश की आड़ में दिनांक 25.10. 2020 को भू-माफिया एवं रेस्पोडेंट एक राय होकर मौके पर से अपीलांट का जबरदस्ती बेदखल करने का प्रयास करने लगे तथा कहा कि हमारे पक्ष में उपरोक्त कृषि भूमि के संबंध में आदेश करवा लिया हैं इसलिए अपना पुश्तैनी कब्जा खालीी करके व ढाणियां छोड़कर भाग जावे अन्यथा अब तुम्हे जबरदस्ती भगायेंगे, इतने में गांव की तरफ से लोगो को आता देख अप्रार्थीगण मौके से चले गये। तब प्रार्थीनी द्वारा दिनांक 02.11.2020 को विचारण न्यायालय में नकल हेतु आवेदन किया तथा नकल प्राप्त होने पर एकपक्षीय आदेश की जानकारी हुई।

10.9.23

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपील संख्या 45/2022 एवं 46/2022 में अपीलांट के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को दावे में पक्षकार ही नही बनाया गया, जबकि राजस्व नक्शें में वादग्रस्त भूमि सामलाती है। अपीलार्थी को दिनांक 08.03.2022 को प्रत्यर्थीगण ने वादग्रस्त भूमि से बेदखल करने की धमकी दी तथा कहा कि हमने तुम्हारे खिलाफ फैसल उपखण्ड अधिकारी लोहावट से करवा लिया है एवं बेदखल करने की धमकी दी। तभी अपीलांट को जानकारी हुई कि अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्रीयो के विरुद्ध न्यायालय हाजा में दो अपीले चल रही है। तब अपीलांट द्वारा दिनांक 10.03.2022 को नकले प्राप्त कर जानकारी के समय से अंदर म्याद दोनो अपीले पेश की है। इससे पूर्व अपीलांट को कोई जानकारी नहीं थी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी पर चारों अपीलों के अपीलांट के कथन है कि अपीलार्थी को वाद में पक्षकार बनाये बिना ही श्रीमती किशनी देवी अधीनस्थ न्यायालय में वाद पेश किया था, जिसमें अपीलार्थी आवश्यक एवं उचित पक्षकार थे एवं उक्त वाद में अपीलार्थीगणों को पक्षकार संयोजित किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है, जिससे अपीलांट्स के अधिकार व हित प्रभावित हो रहे है। इस कारण अपीलांट्स को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दिया जाना कानूनन आवश्यक है।

हि॰
10.9.23

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अंत में चारों अपीलों के अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलांट्स हितबद्ध एवं आवश्यक पक्षकार होने से उन्हे अपील प्रस्तुति की अनुमति प्रदान की जावे तथा अपील संख्या 121/2020, 45/2022 एवं 46/2022 को प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ किया जाकर गुणावगुण पर चारो अपीले अपीलांट्स स्वीकार फरमायी जावें तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 19 अगस्त 2019 राजस्व मूल वाद संख्या 28/2019 अनवान श्रीमती किशनी वगैरह बनाम कमला इत्यादि एवं सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लोहावट द्वारा निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 29 जनवरी 2021 राजस्व मूल वाद संख्या 858/2020 अनवान श्रीमती किशनी वगैरह बनाम कमला इत्यादि को निरस्त किया जाकर गुणावगुण पर सुनवाई हेतु मामला अधीनस्थ न्यायालय को पुनः प्रतिप्रेषित किया जावे तथा अपीलांट सोहनराज द्वारा प्रस्तुत वाद के साथ समेकित किये जाने के आदेश फरमावें।

रेस्पोडेंट अधिवक्ता श्री सी.पी चौधरी ने अपीलांट्स के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावे में संयोजित पक्षकारान् को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर विधिसम्मत निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री एवं निर्णय अंतिम डिक्री पारित की गई है। उक्त अपीलों के अपीलांट्स विचारण न्यायालय में पक्षकार संयाजित नहीं होने से उन्हें हस्तगत अपील प्रस्तुत करने का कानूनन कोई अधिकार नहीं है। अतः अपीलांट्स द्वारा

10.4.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रस्तुत अपील सारहीन, अनुमति बाधित एवं म्याद बाधित होने से खारिज फरमायी जावे।

अपील संख्या 45/2022 एवं 46/2022 में रेस्पोडेंट संख्या सात व आठ के अधिवक्ता ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनो का समर्थन किया तथा वांछित अनुतोष प्रदान किये जाने का निवेदन किया।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

उभयपक्षकारान के अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं पत्रावलियों पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख मुताबिक अपीलांट सोहनी देवी राजस्व रेकर्ड में खसरा नं. 297/1 रकबा 20 बीघा भूमि की खातेदार है तथा अपीलांट सोहनराज खसरा नं 297 का रेकर्डेड खातेदार है। पत्रावली पर उपलब्ध नक्शा पी-35 क्रमांक 296 दिनांक 26.10.2020 मौजा तुलसीराम नगर के मुताबिक मूल खसरा नं. 297 बूटटा नंबर में विभाजित न होकर अविभाजित है, जबकि जमाबंदी में खाते एवं खसरे पृथक-पृथक अंमित है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि वादीगण द्वारा दावा दायरी दिनांक 07.03.2019 के समय वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 297 राजस्व नक्शे में अवीाजित थी। वादीगण द्वारा विभाजन के वाद में अविभाजित मूल खसरा नं. 297 रकबा

18.9.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

122.19 बीघा के समस्त रेकर्डेड खातेदारान् को पक्षकारा संयोजित किये बिना दावा प्रस्तुत किया जाना पाया जाता है तथा समस्त रेकर्डेड खातेदारान् को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्रीया पारित किया जाना पाया जाता है। इन परितस्थितियों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत वाद में पारित अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री तथा अंतिम डिक्री अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं होने से यथावत रखने योग्य नहीं ठहरते है।

जहां तक अपीलांट द्वारा अपीले प्रस्तुति की अनुमति एवं अपीले प्रस्तुति में हुए विलंब का प्रश्न है। विचारण न्यायालय में अपीलाधीन दावे में अपीलांट्स को पक्षकार नहीं बनाये जाने से उन्हें अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पर समय पर जानकारी नहीं हो सकी। लिहाजा अपीलांट्स अपील में हितबद्ध एवं प्रभावित पक्षकार होने से उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना बाबत अपील प्रस्तुत करने की अनुमति स्वीकार किया जाकर अपीलांट्स को अपीले प्रस्तुति की अनुमति प्रदान की जाती है तथा अपीलांट्स द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम में वर्णित तथ्यों में विश्वास करते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील संख्या 121/2020, 45/2022 एवं 46/2022 का गुणावगुण पर निस्तारण हेतु अंदर म्याद शुमार की जाती है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर चारो अपीले स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं

14.9.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 19 अगस्त 2019 राजस्व मूल वाद संख्या 28/2019 अनवान श्रीमती किशनी वगैरह बनाम कमला इत्यादि एवं सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लोहावट द्वारा निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 29 जनवरी 2021 राजस्व मूल वाद संख्या 858/2020 अनवान श्रीमती किशनी वगैरह बनाम कमला इत्यादि को निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किये जाते है कि वह वादग्रस्त भूमि मूल खसरा नं. 297 रकबा 122.19 बीघा के संबंध अपीलांट सोहनराम द्वारा प्रस्तुत दावे के साथ हस्तगत वाद को समेकित करते हुए उक्त खसरान् के समस्त खातेदारों को पक्षकार संयोजित करते हुए उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान कर विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित करे। तब तक उभय पक्ष खसरा नं. 197 के सभी बट्टा नंबरान् सहित राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हस्ताक्षर) 19.9.23
(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर